



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2019/ अग्रहायण 5, 1941

No. 422]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2019/AGRAHAYANA 5, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सं. एल-1/247/2019/केविबिआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (1) तथा 178(2)(यड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) **“अधिनियम”** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) **“मूल्यांकन समिति”** से विद्युत प्रणाली विकास निधि से निधिपोषण के लिए परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन) तथा प्राथमिकता के उद्देश्य के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ग) **“संकुलन राशि”** का वही अर्थ है जो कि पावर बाजार विनियमों के विनियम 33 में उसे निर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) **“संकुलन प्रभार”** का वही अर्थ है जैसा कि संकुलन राहत विनियमों के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

(ड) “संकुलन राहत विनियमों” से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन से राहत हेतु उपाय) विनियम, 2009 अभिप्रेत है।

(च) “विचलन व्यवस्थापन प्रभारों” का वही अर्थ है जैसा कि विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया है।

(छ) “विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम” से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2014 अभिप्रेत है।

(ज) “ग्रिड कोड” से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(झ) “मार्गनिर्देशों” से दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किए गए पावर प्रणाली विकास निधि से निधियों के संवितरण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित क्रियाविधि अभिप्रेत है।

(ञ) “मॉनिटरिंग समिति” से परियोजनाओं या योजनाओं की स्वीकृति, विद्युत प्रणाली विकास निधि से निधियों के रिलीज़ तथा परियोजनाओं या योजनाओं के कार्यान्वयन के समग्र पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग, यथास्थिति, के उद्देश्य से मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ट) “नोडल एजेंसी” से इन विनियमों के विनियम 5 के उपखंड (1) के अधीन यथानामित एजेंसी अभिप्रेत है;

(ठ) “विद्युत बाजार विनियमों” से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ड) “परियोजना ईकाई” से ऐसी एजेंसी अभिप्रेत है जो कि विद्युत प्रणाली विकास निधि से परियोजनाओं के निधिपोषण के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है और इसमें प्रादेशिक विद्युत समिति, उत्पादन कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्र सम्मिलित हैं;

(ढ) “पीएसडीएफ” या “विद्युत प्रणाली विकास निधि” से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(ण) “रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों” का वही अर्थ है जो कि ग्रिड संहिता में उसे निर्दिष्ट किया गया है।

(2) उपर्युक्त के सिवाय और जब तक संदर्भ या विषय वस्तु के अन्यथा प्रतिकूल न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा इसके अधीन निर्मित अधिनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम या विनियमों में उनके लिए दिया गया है।

(3) किसी अधिनियम, नियमों, विनियमों या मार्गनिर्देशों के संदर्भ में उसका संशोधन या समेकन या पुनर्धिनियम सम्मिलित होंगे।

3. निधि का गठन :

(1) “विद्युत प्रणाली विकास निधि” या “पीएसडीएफ” शीर्षक से निधि का गठन किया जाएगा तथा निम्नलिखित राशियां इसमें जमा की जाएंगी :

(क) संकुलन राहत विनियमों के अनुसार ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संकुलन प्रभारों की प्राप्ति के लिए पात्र प्रादेशिक ईकाइयों को देय राशियों के रिलीज़ के बाद “संकुलन प्रभार लेखा” में जमा करने हेतु संकुलन प्रभार;

(ख) पावर बाजार विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंजों में बाजार विखंडन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में भिन्नता से उत्पन्न संकुलन राशि;

(ग) विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार दावों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद “प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि” में जमा किए जाने वाले विचलन व्यवस्थापन प्रभार;

(घ) ग्रिड संहिता के अनुसार "रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार लेखा" में जमा किए जाने वाले रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार;

(ङ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अग्रिम द्विपक्षीय संव्यवहारों में नीलामी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पारेषण प्रभार;

(च) समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित इस प्रकार के अन्य कोई प्रभार।

(2) उक्त खंड (1) के उप-खंड (क) से (च) के अधीन राशियां एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियां, मासिक आधार पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत आवधिकता के अनुसार विद्युत प्रणाली विकास निधि में मार्ग-निर्देशों के अनुसार जमा किए जाने हेतु इन निधियों का अंतरण करेंगी।

(3) विद्युत प्रणाली विकास निधि, भारत के सार्वजनिक लेखा के माध्यम से परिरक्षित तथा प्रचालित की जाएगी।

4. विद्युत प्रणाली विकास निधि का उपयोग :

(1) विद्युत प्रणाली विकास निधि में परियोजना ईकाई को परियोजना हेतु निधिपोषण अनुदान के रूप में होगा।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत प्रणाली विकास निधि से अनुदान के भाग के लिए इन परियोजनाओं या योजनाओं के संबंध में टैरिफ का दावा नहीं किया गया है, यह अनुदान राशि परियोजना की पूंजीगत लागत से घटाई जाएगी।

(3) विद्युत प्रणाली विकास निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु परियोजनाओं या योजनाओं के निधिपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा :

(क) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली तथा अंतःराज्यिक प्रणालियों, जो कि अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में आकस्मिक हैं, में संकुलन से राहत के लिए भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालन फीडबैक पर आधारित रणनीतिक महत्व वाली आवश्यक पारेषण प्रणालियों का सृजन करना;

(ख) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल के सुधार के लिए शंट कैपसिटर, श्रृंखला कंपेन्सेटर तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की स्थापना;

(ग) मानक तथा विशिष्ट सुरक्षा योजनाएं, पायलट तथा प्रदर्शनात्मक योजनाएं तथा प्रादेशिक आधार पर संरक्षण लेखापरीक्षा में पता लगाई गई विसंगतियों को ठीक करना;

(घ) संकुलन में राहत हेतु पारेषण तथा वितरण प्रणालियों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण;

(ङ) तकनीकी अध्ययन तथा क्षमता निर्माण जैसे उपरोक्त उद्देश्यों के प्रोत्साहन में कोई अन्य परियोजना।

(4) विद्युत प्रणाली विकास निधि से धन को उपरोक्त क्षेत्रों में वितरण ईकाइयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जो कि अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में आकस्मिक हैं तथा जिनका ग्रिड संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंध है, बशर्ते ये परियोजनाएं भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) की किसी अन्य योजना में कवर नहीं होती हैं।

(5) विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार की कोई योजना जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता अपेक्षित है, विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता हेतु पात्र होंगे।

(6) केन्द्रीय सरकार, परियोजना या योजना के महत्व तथा सम्मिलित धन की मात्रा के आधार पर पावर प्रणाली विकास निधि से धन की स्वीकृति तथा रिलीज़ को प्राथमिकता दे सकती है।

(7) निजी क्षेत्र परियोजनाएं, विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

5. नोडल एजेंसी तथा इसके कार्य

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अधीन परियोजनाओं या योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार नोडल एजेंसी के रूप में कोई अन्य एजेंसी नामित कर सकती है।

(2) नोडल एजेंसी निम्नलिखित कार्य करेगी :-

(क) विद्युत प्रणाली विकास निधि से संव्यवहारित कारोबार का रिकॉर्ड रखना;

(ख) बजट, लेखा तथा लेखा परीक्षा के तैयारी हेतु कार्यविधि तैयार करना:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस कार्यविधि की तैयारी के संबंध में निर्देश दे सकती है;

(ग) विद्युत प्रणाली विकास निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना; तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य।

6. विद्युत प्रणाली विकास निधियों से निधियों की मंजूरी

(1) केन्द्रीय सरकार, विद्युत प्रणाली विकास निधि से निधियों के आवेदन, प्रोसेसिंग, मंजूरी, संवितरण, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग के लिए प्रत्यक्ष रीति से या नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यविधियों या मार्गनिर्देशों को तैयार कर सकती है।

(2) मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा के बाद नोडल एजेंसी, मॉनिटरिंग समिति को प्रस्ताव संस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है यदि परियोजना गतिविधियां मार्गनिर्देशों तथा इन विनियमों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कवर होती हैं।

(3) प्रादेशिक पावर समितियां, उत्पादन कंपनियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्र, यथास्थिति, नोडल एजेंसी को परियोजनाओं या योजनाओं के आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करेंगी।

(4) उपयोगी अवधि के दौरान परियोजना ईकाई, परियोजनाओं या योजनाओं, यथास्थिति, के प्रचालन एवं परिरक्षण के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी।

7. वार्षिक रिपोर्ट

(1) नोडल एजेंसी, विद्युत प्रणाली विकास निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा इसे केन्द्रीय सरकार एवं आयोग को प्रस्तुत करेगी।

(2) वार्षिक रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।

8. निरसन तथा बचत

(1) इन विनियमों में अन्यथा के सिवाय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, निरस्त विनियमों के अधीन किसी कार्यविधि, कार्यवृत्त, वार्षिक रिपोर्टों, पुष्टीकरण या घोषणा या किसी निष्पादित दस्तावेज सहित कुछ भी कृत या कोई की गई कार्रवाई या किया गया या लिया से तात्पर्य इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-II/4/असा./309/19]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

No. L-1/247/2019/CERC.—In exercise of the powers conferred by Sections 178(1) and 178(2)(ze) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) **"Appraisal Committee"** means the Committee constituted by the Central Government as per the Guidelines for the purpose of scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of project proposals for funding from PSDF;
 - (c) **"Congestion Amount"** has the same meaning as assigned to it in Regulation 33 of the Power Market Regulations;
 - (d) **"Congestion Charge"** has the same meaning as assigned to it under Congestion Relief Regulations;
 - (e) **"Congestion Relief Regulations"** means Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009;
 - (f) **"Deviation Settlement Charges"** has the same meaning as assigned to it in the Deviation Settlement Mechanism Regulations;
 - (g) **"Deviation Settlement Mechanism Regulations"** means the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement and related matters) Regulations, 2014;
 - (h) **"Grid Code"** means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010;
 - (i) **"Guidelines"** means the procedures approved by the Central Government for disbursement of funds from PSDF issued vide Office Memorandum dated 18th September, 2014;
 - (j) **"Monitoring Committee"** means the Committee constituted by the Central Government as per the Guidelines for the purpose of sanctioning of projects or schemes, release of funds from PSDF and overall supervision and monitoring of the implementation of projects or schemes, as the case may be;
 - (k) **"Nodal Agency"** means the agency as designated under clause (1) of Regulation 5 of these regulations;
 - (l) **"Power Market Regulations"** means Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010;
 - (m) **"Project Entity"** means the agency that submits proposals for funding of projects from PSDF and shall include Regional Power Committees, Generating Companies, Transmission Licensees, Distribution Licensees, Load Despatch Centers;
 - (n) **"PSDF"** or **"Power System Development Fund"** means the funds constituted under Regulation 3 of these regulations;
 - (o) **"Reactive Energy Charges"** has the same meaning as assigned to it in the Grid Code;
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the regulations made thereunder by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the regulations.
- (3) Reference to any Act, Rules, Regulations or Guidelines shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

3. Constitution of the Fund:

- (1) A fund named "Power System Development Fund" or "PSDF" shall be constituted and the following amounts shall be credited thereto:
 - (a) Congestion charges standing to the credit of the "Congestion Charge Account" after release of amounts payable to Regional Entities entitled to receive congestion charges along with interest, if any, in accordance with the Congestion Relief Regulations;
 - (b) Congestion amount arising from the difference in the market prices of different regions as a

consequence of market splitting in power exchanges in accordance with Power Market Regulations;

- (c) Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "Regional Deviation Pool Account Fund" after final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations;
 - (d) Reactive Energy Charges standing to the credit of "Reactive Energy Charges Account" in accordance with the Grid Code;
 - (e) Additional Transmission Charges arising out of the explicit auction process in Short-Term Open Access Advance Bilateral transactions in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008; and
 - (f) Such other charges as may be notified by the Commission from time to time.
- (2) The agencies authorized to collect the amounts under sub-clauses (a) to (f) of clause (1) above shall transfer these funds to the credit of the PSDF, in accordance with the guidelines, on monthly basis or as per the periodicity decided by the Central Government.
- (3) The PSDF shall be maintained and operated through the Public Account of India

4. Utilization of the PSDF

- (1) The funding for projects from PSDF to the project entities shall be in the form of grant.
- (2) To ensure that the tariff in respect of such projects or schemes is not claimed for the portion of the grant from PSDF, such grant amount shall be reduced from capital cost of the project.
- (3) PSDF shall be utilized for funding of projects or schemes for creation of necessary infrastructure for the following purposes:
 - (a) Creating necessary transmission systems of strategic importance based on operational feedback by Load Despatch Centers for relieving congestion in inter-State transmission system and intra-State Systems which are incidental to the ISTS;
 - (b) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators for improvement of voltage profile in the Grid;
 - (c) Installation of standard and special protection schemes, pilot and demonstrative projects and for setting right the discrepancies identified in the protection audits on regional basis;
 - (d) Renovation and Modernization of transmission and distribution systems for relieving congestion; and
 - (e) Any other project in furtherance of the above objectives such as conducting technical studies and capacity building.
- (4) Funds from PSDF may also be utilized for the projects proposed by the distribution utilities in the above areas which are incidental to inter-State transmission system and have a bearing on grid safety and security, provided that these projects are not covered under any other scheme of the Government of India or respective State Government(s).
- (5) Any Central Government scheme in the interest of development of power system which requires support from PSDF as part of the scheme shall be eligible for assistance from PSDF.
- (6) The Central Government may prioritize sanctioning and release of funds from PSDF based upon importance of the project of the scheme and quantum of fund involved.
- (7) Private sector projects shall not be eligible for assistance from PSDF.

5. Nodal Agency and its functions

- (1) National Load Despatch Centre (NLDC) shall be the Nodal Agency for the implementation of the projects or schemes under these regulations.

Provided that the Central Government may designate any other agency as the Nodal Agency.

- (2) The Nodal Agency shall perform the following functions:-
- (a) Keep a record of business transacted out of PSDF;
 - (b) Prepare procedure for preparation of Budget, Accounting and Audit:
Provided that the Central Government may give directions as regards preparation of such procedures;
 - (c) Prepare Annual Report of PSDF; and
 - (d) Perform such other functions as may be assigned to it by the Central Government.

6. Sanction of funds from PSDF

- (1) The Central Government may frame procedures or guidelines, either directly or through the Nodal Agency, for application, processing, sanction, disbursement, appraisal and monitoring of funds from PSDF.
- (2) After scrutiny of the proposals by the Appraisal Committee, the Nodal Agency is authorized to recommend the proposal to the Monitoring Committee if project activities are covered under the scope of the Guidelines and these Regulations.
- (3) The Regional Power Committees, Generating Companies, Transmission Licensees, Distribution Licensees, Load Despatch Centers, as the case may be, shall furnish necessary details of the projects or schemes to the Nodal Agency.
- (4) The project entity shall be responsible for the execution as well as Operation & Maintenance of the projects or schemes, as the case may be, during its useful life.

7. Annual Report

- (1) The Nodal Agency shall prepare an Annual Report of the PSDF and submit the same to the Central Government and the Commission.
- (2) The Annual Report shall also be laid on the table of both Houses of Parliament through the Ministry of Power.

8. Repeal and Savings

- (1) Save as otherwise provided in these regulations, Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations 2014 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any procedure, minutes, annual reports, confirmation or declaration or any instrument executed under the repealed regulations shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./309/19]